भारत दस रुपये INDIA TEN RUPEES

01/07/13

(36)

!! श्री !!

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक /2013–14 निगरानी

R-2588-PBR/13

गुलाबचंद पिता श्री कालूराम,
निवासी 14 छोटी कमल कॉलोनी गली नंबर उज्जैन
तहसील व जिला उज्जैन ....प्रार्थी/अनावेदक

विरूद्ध

1– लक्ष्मीनारायण पिता श्री शिवदयाल वर्मा,
2– श्रीमती राधादेवी पति श्री लक्ष्मीनारायण वर्मा,
निवासी वर्मा रेडियो वररूची मार्ग फ्रीगंज उज्जैन
तहसील व जिला उज्जैन

............प्रतिप्रार्थी

विषय :– न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस, जिला उज्जैन के द्वारा प्रकरण क्रमांक 59 /बी–103/ 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 14–3–2013 के विरूद्ध निगरानी ।

माननीय महोदय,

प्रार्थी/अनावेदक की ओर से निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत है :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

1– यह कि, प्रार्थी/अनावेदक द्वारा प्रतिप्रार्थी लक्ष्मीनारायण से उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक मकान नंबर 1–12/12–बी–इ डब्ल्यू एस क्षैत्रफल 15.41 वर्ग मीटर 65,000=00 रूपये में क्रय करने का लिखित अनुबंध दिनांक 15–1–2007 को किया था जो 100=00 रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया गया था । लक्ष्मीनारायण द्वारा प्रार्थी के हित में विक्रय पत्र का संपादन नही करने के कारण प्रार्थी ने न्यायालय षष्टम व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग–2 उज्जैन के न्यायालय में विक्रय पत्र का संपादन कराये जाने हेतु एक वाद प्रस्तुत किया । न्यायालय में लक्ष्मीनारायण द्वारा अनुबंध पत्र विधिवत नही होन के आधार पर आपत्ति की ओर अनुबंध पत्र को अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर आफ स्टाम्पस जिला उज्जैन के न्यायालय में डेटरमिनिशन (स्टाम्प शुल्क की अवधारणा) के लिए भेजा । अधिनस्थ न्यायालय ने 53,752=00 रूपये जमा करने का

XIX(a)-BR(H)-11 गुलाबचन्द / लक्ष्मी नारायण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2599-PBR/13 जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-5-15	आवेदक अभि० सूचना उपरान्त अनु० । अना० को सूचना दी जावे । रिकार्ड अप्राप्त । मांग की जावे । पर 9.6.15 उज्जैन कैम्प — आज्ञा से (हस्ताक्षर)	
9-6-15	आवेदक की ओर से सूचना उपरान्त कोई उपस्थित नहीं । पूर्व पेशी दिनांक 25.5.15 को आवेदक अभिभाषक उपस्थित थे । आवेदक अभिभाषक ने आगामी पेशी दि 25.5.15 नोट की थी । परन्तु वे उक्त पेशी में उपस्थित नहीं हुये । दिनांक 27.5.15 को पेशी उप पंजीयक द्वारा बढ़ाई गई । कोई उपस्थित नहीं । आज पुनः आवेदक एवं उनके अभिभाषक को समय-समय पर पुकार लगाई गई । कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । प्रकरण द.रि. हो । — अध्यक्ष	

[कृ. प. उ.